

न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री गिर्राज प्रसाद बंसल आर.टी.एस तहसीलदार बयाना

किस्म मुकदमा – राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
70/19	18/09/19	30/09/19

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम

श्री सोहनसिंह पुत्र रतनलाल जाति जाटव निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खेडली गडासिया ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री सोहनसिंह पुत्र रतनलाल जाति जाटव निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना ने ग्राम खेडली गडासिया की चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 2255 में कुल 1.89 हैक्टे में से रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि पर फसल खरीफ सम्वत 2076 में अनाधिकृत रूप से बाजरा की फसल कर अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भूराजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 (3) के तहत दिनांक 24/09/19, 30/09/19 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर, नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथियों को गैर सायल अनुपस्थित इसलिए गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पश्चातवर्ती अतिक्रमी के सम्बन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में गैर सायल को फसल खरीफ सम्वत 2076 में पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया है। गैर सायल अतिक्रमण करने का आदी है एवं अब भी अपना अतिक्रमण (कब्जा) छोडने को तैयार नहीं है।


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्वत 2076 में उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित किया

जाता है। गैर सायल द्वारा रवि सम्बत 2075 में भी उपरोक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसकी पुष्टि इसी न्यायालय के मुकदमा नम्बर 39/18 से होती है। गैर सायल को रवि सम्बत 2075 में बेदखल किया गया था फिर भी गैर सायल ने पुनः अतिक्रमण कर लिया है कि गैर सायल बार बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिचारी की तारीफ में आता है इसके अतिरिक्त अतिक्रमित आराजी की किस्म चारागाह है पशुओं के चारे के उपयोग की भूमि है। गैर सायल ने गाँव के चारागाह की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिचार कर अपराध किया है। अतिक्रमित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में गैर सायल किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं रहता है। बल्कि ऐसे अतिचारी के विरुद्ध प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो अन्य लोग भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करेंगे और अतिक्रमण को बढ़ावा व प्रोत्साहन मिलेगा।

अतः फसल खरीफ में अतिचारी सोहनसिंह पुत्र रतनलाल जाति जाटव निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना का ग्राम खेडली गडासिया की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 2255 में रकवा 0.12 है 0 भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 1.92 रूपये का पचास गुना राशि 96 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मौके से बेदखल कर फसल बाजरा नीलाम करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

निर्णय अनुसार बेदखली फसल नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मांग कायामी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। गैर सायल के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर वास्ते तामील सम्बन्धित थानाधिकारी को भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार
बयाना

इस वधावला का मांग सामग्री
वा. वे. सं. 04 के पेज नं. 10
दिनांक 11/10/19 को वष 2018-20 में
बिबन्दी रु. 9.6 फसल नीलामी
को जा चुको है।
तहसील राजस्व लेखाकार
बयाना